न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 509/2022

मु0अ0सं0 185/2022

सरकार बनाम चांद आदि

अ0 धारा 147,323/149,504,506 भा0द0सं0,

व 3(2)(va)एस0सी0एस0टी0एक्ट,

थाना– हापुड नगर ,जनपद– हापुड़।

UPHP010026892022

18.10.2022 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण चांद, सोहेल , सूफियान, शाहिद, आसिफ जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियेजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 323/149, 504,506 भा0द0सं0, व 3(2)(va) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट, के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 07.11.2022 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 18.10.2022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः— उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 509/2022

मु0अ0सं0 185/2022

सरकार बनाम चांद आदि

अ0 धारा 147,323/149,504,506 भा0द0सं0,

व 3(2)(va)एस0सी0एस0टी0एक्ट,

थाना— हापुड नगर ,जनपद— हापुड़।

UPHP010026892022

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 एस0टी0एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण चांद, सोहेल , सूफियान, शाहिद, आसिफ पर यह आरोप लगाता हूँ कि —:

प्रथमत ::— यह कि दिनांक 20.03.2022 को समय करीब 03.30 बजे दिन मौहल्ला कोटला मेवातियान हापुड बहद थाना हापुड नगर जिला हापुड में आप अभियुक्तगण विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य थे तथा उस जमाव के सदस्य के रूप में सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में बल/हिंसा का प्रयोग किया । इसके द्वारा आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 147 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::— यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी व उसकी भाभी के साथ मारपीट कर सामान्य उपहति कारित की । इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323 /149 के अर्न्तगत दण्डनीय है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

तृतीयतः:— यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी व उसकी भाभी को गाली गलौच कर अपमानित किया । इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

चतुर्थतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी व उसकी भाभी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया उसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

पंचमतः ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण नेवादी व उसकी भाभी , जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, को अवमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया , गाली गलौच की ,मारपीट कर उपहति कारित की ं इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
दि0 18.10.2022 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया ।अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
दि0 18.10.2022 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।